

भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं0 2954  
दिनांक 20 मार्च, 2017

पेट्रोल पम्पों का आंवटन

2954. डॉ. उदित राज:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार/तेल विपणन कंपनियों ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से संबंधित रिटेल आउटलेटों का आंवटन निरस्त कर दिया है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और एससी/एसटी हेतु विहित आरक्षण कोटे के अनुसार ऐसे रिटेल आउटलेटों के आंवटन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अनुसूचित जातियों (एससीज) तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटीज) के समुदाय के किसी खुदरा बिक्री केन्द्र के आंबटन को रद्द नहीं किया है।

आरक्षण कोटे के अनुसार एससी/एसटीज की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- (क) एमओपीएनजी ने संग्रह निधि योजना के तहत एससी/एसटी के लंबित आशय पत्र (एलओआई) धारकों तथा अन्य पात्र उम्मीदवारों के लिए राज्य/बाजार की श्रेणी का ध्यान रखे बगैर देश में कहीं भी अपनी पंसद के स्थान पर भूमि की व्यवस्था करने की अवधि को और दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 31.03.2018 तक अथवा पेशकश संबंधी पत्र जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी बाद में हो, के लिए बढ़ाए जाने को अनुमोदित कर दिया है बशर्ते जिस भूमि की पेशकश की गई है वह एमओपीएनजी द्वारा निर्धारित तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी मानक पूरे करती हो।
- (ख) इसके अलावा एससीज/एसटीज सहित लंबित एलओआई धारकों की कुछ श्रेणियों के लिए कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) अस्थाई खुदरा बिक्री केन्द्रों के डाइवेस्टमेंट की एक नीति है।
- (ग) इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ईंधन की खुदरा बिक्री हेतु विशेष रूप से एससीज/एसटीज श्रेणियों के लिए उपयुक्त भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा है ताकि एससीज/एसटीज श्रेणियों के आंबटनों को इन भूखंडों का प्राथमिकता के आधार पर आंबटन किया जा सके और राज्य/संघ शासित प्रदेश सामाजिक उत्थान का अपना उद्देश्य पूरा कर सके।
- (घ) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्र चालू करने के लिए एससीज/एसटीज को भूमि के आंबटन हेतु सभी जिला/राज्य प्राधिकरणों के साथ सक्रियता से बातचीत कर रही हैं।
- (ङ) ओएमसीज भूमि प्राप्त करने और एससीज/एसटीज के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों की नीलामी/बोली प्रक्रियाओं में भी भाग लेती हैं।

\*\*\*\*\*